



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122023-250738
CG-DL-E-18122023-250738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 2023/अग्रहायण 27, 1945

No. 714]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 18, 2023/AGRAHAYANA 27, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 898(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 के नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर संशोधन (अठाइसवां संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग में, खंड (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(x) पावरग्रिड अवसंरचना निवेश न्यास की अर्जन इकाईयों के रूप में निवेश।”।

[अधिसूचना सं. 103/2023/फा. सं. 370142/44/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड(ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या का.आ. 813(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2023

G.S.R. 898(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xii) of sub-section (5) of section 11 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called the Income-tax Amendment (Twenty-Eighth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 17C, after clause (ix), the following clause shall be inserted, namely:-

“(x) investment by way of acquiring units of POWERGRID Infrastructure Investment Trust.”.

[Notification No. 103/2023/ F. No. 370142/44/2023-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note:-Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 813(E), dated 31st October, 2023.